न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

किशनाराम आदि बनाम [illegible] आदि

किस्म मुकदमा [illegible] मु.नं. 44 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा - पत्र	
7/10/2[illegible]	पत्रावली [illegible] पेश हुई। वकील [illegible] उप.। पत्रावली [illegible] अवलोकन किया। [illegible] पर गौर किया। अतः प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का इस्तगासा [illegible] स्वीकार किया जाता है [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:24:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 44/2023/251(क) आरटीए, 1955

01. किशनाराम पुत्र लिछमण राम
02. तुलछी देवी पत्नी दूदाराम
03. दुर्गाराम पुत्र डालूराम
04. बलबीर सिह पुत्र दूदाराम
05. रामदयाल पुत्र दुदाराम
06. सुनीता देवी पुत्री दूदाराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी चूड़ोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

— प्रार्थीगण

बनाम

01. भंवरी पुत्री भुदाराम
02. रामेश्वरी पत्नि टोडाराम (फौत)
    (1/1) भंवरी पुत्री स्व. टोडाराम
    (1/2) गोपाल पुत्र टोडाराम
03. रिछपाल पुत्र टोडाराम
04. शिवभगवान पुत्र टोडाराम

    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ढाणी चूड़ोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
05. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक शाखा SKSB, सीकर तहसील सीकर व जिला सीकर
06. शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा फागलवा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
07. भूमिधारी तहसीलदार, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

— अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति—

01. श्री राजेश कुमार बेरवाल, एड. वकील प्रार्थीगण की ओर से
02. श्री बनवारी लाल बरवड़, एड. वकील अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 07.10.2025

वकील प्रार्थीगण की ओर से आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ''वाके ग्राम ढाणी चूड़ोली पटवार हल्का सेवा तहसील सीकर जिला सीकर की तन में खसरा सं. 64 रकबा 1.3800 हेक्टेयर अवस्थित है, जिसके समस्त प्रार्थीगण राजस्व रिकार्डेड काबिज काश्तकार खातेदार, स्वामी है। प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा सं. 64 रकबा 1.3800 हेक्टेयर भूमि में आने—जाने का कोई स्थायी, रिकार्डेड रास्ता नहीं है, जिस कारण से प्रार्थी अपने खेत की समय पर बुवाई नहीं कर पा रहे है तथा खेत में लढा गाड़ी, मशीनरी आदि लाने—ले जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धारा 251 (ए) राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:24:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थीगण को अपने कब्जे, काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि में आने–जाने का रास्ता प्राप्त करने का कानूनी हक, अधिकारी है। प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 217/67 में आने–जाने का रिकार्डेड रास्ता है तथा प्रार्थीगण अपने उक्त खेत खसरा सं. 217/67 से अपने दूसरे खेत खसरा सं. 64 में आने–जाने के लिए निकटतम एवं सबसे सुगम रास्ता खसरा सं. 65 के मध्य से 6.5 मीटर की चौड़ाई में मिलाया जाना उचित एवं न्याय संगत है तथा प्रार्थी खसरा सं. 65 के खातेदारों को नियमानुसार डी.एल.सी. दर मुताबिक तहसीलदार द्वारा कायम की जाने वाली राशि अदा करने अथवा जमीन के बदले जमीन देने हेतु तैयार है। प्रार्थीगण ने सहमति व राजीखुशी से अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को खसरा सं. 65 में से संलग्न नजरी नक्शानुसार से 6.5 मीटर चौड़ा का रास्ता कायम करने हेतु दिनांक 26.02.2023 को कहा तो स्पष्ट रूप से इंकार हो गये, जिस पर आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी रिछपाल का हिस्सा यूको बैंक शाखा SKSB, सीकर के एवं शिवभगवान का हिस्सा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा फागलवा के यहां रहन होने कारण बैंक को पक्षकार सं. 5 एवं 6 के रूप में संयोजित किया गया है। अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 7, तहसीलदार, सीकर ग्रामीण भूमिधारी राज्य सरकार होने के कारण, पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। आवेदन माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से आवेदन उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 64 के निकटतम रास्ता खसरा सं. 217/67 में से संलग्न नजरी नक्शानुसार 6.5 मीटर की चौड़ाई में संलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ता कायम किया जावें।''

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी सं. 7 भूमिधारी, तहसीलदार को प्रकरण में मौका/तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1, 1/1, 1/2, 5 व 6 पर विधिवत तामील पूर्ण होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से श्री बनवारी लाल बरवड़, एड. ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी सं. 7 भूमिधारी, तहसीलदार के पत्रांकः भू.अ./2023/3106 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 की ओर से आवेदन बाबत विधिक आपत्ति फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 26.07.2023 पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि ''उपरोक्त उनवानी प्रकरण रास्ते को लेकर के माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया गया है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को स्वयं मौके पर मौके की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट पेश करने के लिए लिखा गया था तथा राजस्व मण्डल के दिशा निर्देशों के अनुसार तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट पेश करनी चाहिए थी तथा तहसीलदार मौके पर जाने से पूर्व संबंधित खातेदार जिससे रास्ता चाहा गया है। उसको मौके पर उपस्थित होने का नोटिस व समय देकर स्वयं की उपस्थिति में फर्द मौका तैयार कर मौका रिपोर्ट पेश करनी थी। परंतु तहसीलदार सीकर ग्रामीण के द्वारा पक्षकारों को न तो कोई नोटिस दिया गया तथा ना ही स्वयं द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई। एकपक्षीय रूप से आवेदक के हस्ताक्षर करवाकर गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का ने बिना किसी प्रकार का कोई मौका देखे बिना ही तहसीलदार कार्यालय में बैठकर ही रिपोर्ट तैयार करवाई गई जो विधि विरूद्ध तथा राजस्व मण्डल अजमेर के दिशा निर्देशों के विपरीत जाकर रिपोर्ट माननीय न्यायालय में अनावेदक को बिना कोई सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पेश की गई है। उक्त रिपोर्ट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अतः निवेदन है कि आपत्ति को स्वीकार करते हुए फर्द मौका रिपोर्ट जो एकपक्षीय रूप से तैयार की गई है, को निरस्त किया किया जावें। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रकरण न्यायालय हाजा में वर्ष 2023 में विचाराधीन है। अतः प्रकरण का समय रूप से अवलोकन किया जाकर उभयपक्ष को अवगत करवाया जाकर बहस में नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:24:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

बहस उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण से सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने अपने आवेदन में उल्लेखित तथ्यों को दोहराकर अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 के विधिक आपत्ति आवेदन को अस्वीकार किया जाकर तहसीलदार से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 ने अपने विधिक आपत्ति आवेदन में उल्लेखित तथ्यों को दोहराकर पुनः रिपोर्ट मंगवाये जाने तथा प्रार्थीगण का आवेदन विधिसम्मत नहीं होने से आपत्ति स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण का हस्तगत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया। अपने कथनों व तथ्यों के समर्थन में वकील प्रार्थीगण ने कुछ न्यायिक दृष्टांत– डी.एन.जे.(2) 2022 (रेवन्यू) पेज 1368, आर.बी.जे. 2021 पेज 276, डी.एन.जे. (2) 2022 (रेवन्यू) पेज 1210 पेश किये।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा समग्र पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क) के तहत प्रार्थीगण के हस्तगत प्रार्थना–पत्र, वकील अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 के विधिक आपत्ति आवेदन व तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांकित 20.09.2023 के संदर्भ में यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थीगण ने की खातेदारी की अवस्थित आराजी खसरा सं. 64 व 217/67 वाके ग्राम ढाणी चुड़ौली में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 65 वाके ग्राम ढाणी चुड़ौली में से रास्ते की मांग की है। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2023/3106 दिनांक 20.09.2023 से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 64 के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर कोई प्रचलित/रिकॉर्डेड रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा खसरा सं. 65 में से रास्ता चाहा गया है परन्तु जहां से रास्ता चाहा गया है वहां पर अप्रार्थीगण के ट्यूबवेल व सौर ऊर्जा प्लेटें लगी हुई है तथा अप्रार्थीगण के मकानात के पास में पशु आदि बांधने के स्थान से होकर रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अन्य प्रचलित/कटानी रास्ते से जुड़ा हुआ नहीं है। अतः प्रार्थीगण के द्वारा खसरा सं. 65 में से चाहे गये रास्ते का प्रस्ताव बनाया जाना संभव नहीं है। अतः खसरा सं. 63 (अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि) में से होकर प्रस्तावित रास्ता प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो लघुत्तम/निकटतम रूट से होकर जाता है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के लिए आत्यांतिक आवश्यकता का है। न कि केवल जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिए है। इस कारण उक्त खसरा सं. 65 में आवागमन हेतु खसरा सं. 63 में बिंदु सं. **A** से **B** (लाल स्याही से दर्शित) रकबा 0.0528 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 64 में आवागमन हेतु रास्ता प्रस्तावित किया गया है। चूंकि प्रकरण में उक्त रिपोर्ट के संबंध में वकील अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 ने एक विधिक आपत्ति इस प्रकार से आक्षेपित की है कि उक्त प्रस्तावित रास्ता की रिपोर्ट तहसीलदार के द्वारा नहीं बनाई जाकर तथा बिना पक्षकारों को नोटिस दिये उक्त रिपोर्ट बनाई गई है, जिसे निरस्त किया जाकर पुनः रिपोर्ट पेश की जावें। उक्त आक्षेप के समर्थन में वकील अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि तहसीलदार की रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट में अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 द्वारा उठाये गये आक्षेप के समर्थन में कोई तथ्य सामने नहीं आया है। जबकि प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार ही तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट में वर्णित रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो कि लघुत्तम व निकटतम है। वकील अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 के द्वारा अपने कथनों के पक्ष में ऐसा कोई ठोस सबूत–साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे उनके जवाब, आपत्ति तथा कथनों की पुष्टि हो सके। जबकि तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट आदि के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र टिनेंसी एक्ट, 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों एवं शर्तों की पूर्ति करता है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांकित 20.09.2023 द्वारा प्रस्तावित रास्ता उचित है। इस प्रकार से वकील अप्रार्थीगण सं. 3 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:24:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

4 ने अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आदि चस्पा नहीं होते है। अतः उक्त सभी स्पष्ट तथ्यों के आलोक में वकील अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 के आपत्ति आवेदन को अस्वीकार कर प्रार्थीगण के हस्तगत आवेदन अ. धारा 251(क) आरटीए, 1955 को तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2023/3106 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः वकील अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 के आपत्ति आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2023/3106 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि-

(अ) तहसीलदार की विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट के साथ संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट (पृष्ठ सं. 02) में दर्शित नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम ढाणी चुड़ौली पटवार हल्का सेवा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 64 में आवागमन के लिए भूमि खसरा सं. 63 की भूमि की उत्तरी दिशा में रकबा 0.0528 हेक्टेयर नजरी नक्शा में लाल रंग से बिंदु A से B तक (दर्शित नजरी नक्शा के अनुसार) प्रस्तावित रास्ता अंकित है, रास्ता हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अनुरूप नक्शे में रास्ते का अंकन किया जाये।

(ब) खसरा सं. 63 में से उक्तानुसार रास्ते मे गई भूमि कम करते हुए नवीन रास्ते को पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जाये तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडियां आदि) मे दर्ज किया जाये।

(स) तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट दिनांकित 20.09.2023 के साथ संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट (पृष्ठ सं. 02) के बिंदु सं. 10 में दर्शित नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्तावित रास्ते के खसरा सं. 63 वाके ग्राम ग्राम ढाणी चुड़ौली के बदले में खसरा सं. 64 वाके ग्राम ढाणी चुड़ौली में से लाल स्याही से रेखांकित भूमि बिंदु B से C तक (दर्शित नजरी नक्शा के अनुसार) मुताबिक जमाबंदी में दर्ज वर्तमान खातेदारान के खाते में से प्रस्तावित रास्ते के एवज में भूमि कम की जाकर संबंधित अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करावें।

तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2023/3106 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा प्राप्त विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तद्नुसार पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह आदेश आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:24:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner